



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0002/O.A. NO. 388/2024

दिनांक:-

Date: 01/01/2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Subject: Submission of Action Taken Report pursuant to the order dated 11.12.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the matter of O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 11.12.2023 in the matter of O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P., the Action Taken Report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid Action Taken Report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,


(U.K. Gupta)
Regional Officer

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer

Action Taken Report in pursuant to order dated 11.12.2023 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in the matter of O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P.

1. That Hon'ble NGT took the matter in O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P. on the basis of a letter petition relating to violation of the norms by four stone crusher units namely M/s. APCO Infratech Private Limited; Shiv Shakti Enterprises (formally known as M/s. Jai Maa Durga Mixture Plant); M/s. K.K.K. Construction and M/s. Maruti Nandan Stone Crusher operating at Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District-Mirzapur. Hon'ble NGT has constituted a Joint Committee comprising of State PCB, District Magistrate, Mirzapur and Director, Mines and Geology Department, UP vide order dated 30.05.2023 and directed to submit the factual and action taken report within two months.
2. That in compliance of Hon'ble NGT order dated 30.05.2023 in the matter of O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P, the report of Joint Committee has been filed by U.P. Pollution Control Board on 25.07.2023. After reviewing the compliance report, Hon'ble NGT has passed the order dated 22.09.2023. The relevant part of the order is reproduces below:

..... 5. Having regard to the report filed before this Tribunal, we deem it proper to implead the above stone crusher units as respondent in this petition as also we formally implead the UPPCB, District Magistrate, Mirzapur. State of U.P. And Secretary, Environment, State of U.P. as respondents.

6. Registry is directed to prepare amended memo of parties and to take necessary steps for service of notices to the above respondents.

7. List the matter on 11.12.2023.

3. That it is submitted that U.P. Pollution Control Board had issued show cause notices against four stone crusher units namely M/s. APCO Infratech Private Limited; Shiv Shakti Enterprises (formally known as M/s. Jai Maa Durga Mixture Plant); M/s. K.K.K. Construction and M/s. Maruti Nandan Stone Crusher operating at Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirzapur for closing down the operation of unit and imposition of Environmental Compensation for violation period vide letter dated 25.01.2022, 06.09.2023 and 08.09.2023.
4. That U.P. Pollution Control Board has issued closure orders to above said units vide letter dated 06.09.2023 and 30.11.2023 after giving due opportunity as per law.
5. Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 11.12.2023 in the matter of O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P. instructed the following:-

....."9. State PCB shall also file a further action taken report to inform, whether closure orders passed by it have been given effect to and the units have been actually closed or not and also the current status with regard to recovery of environmental compensation....."

10. List on 04.01.2024.

6. In order to ensure the compliance of closure orders issued by UPPCB vide letter dated 06.09.2023 and 30.11.2023, joint committee had been constituted by District Magistrate, Mirzapur vide reference No. G000977/O.A. No. 388/2023 Hemlata Devi and Ors. Vs State of U.P. dated 14.12.2023 (Copy enclosed as Annexure-1.1 to 1.4). The Joint committee visited the site and sealed all the 04 stone crusher units. (Copy enclosed as Annexure-2.1 to 2.4 & 3.0).

7. U.P. Pollution Control Board has imposed environmental compensation against the above mentioned 04 stone crusher units after approval from competent authority vide letter dated 07.12.2023. UPPCB has also sent letter dated 22.12.2023 to District Magistrate, Mirzapur for recovery of amount of environmental compensation. The copy of letters dated 22.12.2023 sent to District Magistrate, Mirzapur is enclosed herewith and marked as Annexure No. 4.1 to 4.4.
8. District Magistare, Mirzapur has directed to Sub Divisional Magistrate (SDM), Chunar, Mirzapur to recovery of environmental compensation amount vide reference No. G0001/OA-388/2022 Dated 01.01.2024. The Copy letter dated 01.01.2024 is enclosed herewith and marked as Annexure-5.0.
9. The details regarding status of recovery and the amount of EC are as following:-

Sl. No.	Stone Crusher Unit	Amount of Environmental Compensation Imposed	Status of Recovery	
1.	M/s. APCO Infratech Private Limited, Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirzapur	Rs.8,48,750.00 (Rupees Eight Lakhs Forty Eight Thousand Seven hundred Fifty only)	Requesting letter sent to the District Magistrate, Mirzapur by UPPCB vide reference No. HO 4619/C-2/Air-524/ Compensation/2023 dated 22.12.2023.	The District Magistrate, Mirzapur directed to Sub Divisional Magistrate, Chunar, District-Mirzapur by vide reference No. G0001/ OA-388/ 2022 Dated 01.01.2024 to recovery the environmental compensation amount.
2.	Shiv Shakti Enterprises (formally known as M/s. Jai Maa Durga Mixture Plant), Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirzapur	Rs.8,48,750.00 (Rupees Eight Lakhs Forty Eight Thousand Seven hundred Fifty only)	Requesting letter sent to the District Magistrate, Mirzapur by UPPCB vide reference No. HO 4616/C-2/Air-504 /Compensation/2023 dated 22.12.2023.	The District Magistrate, Mirzapur directed to Sub Divisional Magistrate, Chunar, District-Mirzapur by vide reference No. G0001/ OA-388/

				2022 Dated 01.01.2024 to recover the environmental compensation amount.
3.	M/s. K.K.K. Construction, Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirzapur	Rs.8,48,750.00 (Rupees Eight Lakhs Forty Eight Thousand Seven hundred Fifty only)	Requesting letter sent to the District Magistrate, Mirzapur by UPPCB vide reference No. HO 4617/C-2/Air-525/ Compensation/ 2023 dated 22.12.2023.	The District Magistrate, Mirzapur directed to Sub Divisional Magistrate, Chunar, District-Mirzapur by vide reference No. G0001/ OA-388/ 2022 Dated 01.01.2024 to recover the environmental compensation amount.
4.	M/s. Maruti Nandan Stone Crusher, Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirzapur	Rs.39,37,500.00 (Rupees Thirty Nine Lakhs Thirty Seven Thousand Five hundred only)	Requesting letter sent to the District Magistrate, Mirzapur by UPPCB vide reference No. HO 4618/C-2/Air-506/ Compensation/2023 dated 22.12.2023.	The District Magistrate, Mirzapur directed to Sub Divisional Magistrate, Chunar, District-Mirzapur by vide reference No. G0001/ OA-388/ 2022 Dated 01.01.2024 to recover the environmental compensation amount.

The above Action Taken Report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 01.01.2024


01/01/2024
(U.K. Gupta)

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Sonbhadra

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

पत्रांक- G000 077 / O.A. No. 388/2023

दिनांक- 14/12/2023

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में दिनांक-30.05.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक-18.07.2023 को किया गया था। निरीक्षण आख्या में निहित संस्तुति के आधार पर निम्न 04 स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है:-

1. मेसर्स एफको इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर।
2. मेसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्वनाम-मेसर्स जय माँ दुर्गा मिक्चर प्लाण्ट), ग्राम-रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर।
3. मेसर्स के0के0के0 कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर।
4. मेसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम-रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर।

उपरोक्त वर्णित स्टोन क्रशर उद्योगों के विरुद्ध निर्गत बन्दी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:-

1. उपजिलाधिकारी, चुनार, मिर्जापुर।
2. क्षेत्राधिकारी (पुलिस), चुनार, मिर्जापुर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र।

उपरोक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित बन्दी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपरोक्त वर्णित स्टोन क्रशर उद्योगों की सीलिंग की कार्यवाही अविलम्ब करना सुनिश्चित करें। मा0 अधिकरण में उक्त प्रकरण की अग्रिम सुनवाई तिथि 04.01.2024 नियत है।


(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक:-

प्रतिलिपि:- समस्त सदस्यों को अनुपालनार्थ।


जिलाधिकारी,
मीरजापुर।


J.C.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक-30.11.2023 द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या।


मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच03478/सी-2/वायु-524/बन्दी आदेश/23 दिनांक-30.11.2023 द्वारा प्रश्नगत उद्योग मेसर्स एफ्को इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी000977/ओ0ए0 संख्या-388/2023 दिनांक-14.12.2023 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-20/12/23 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड कर उद्योग बन्द किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


20/12/23
(K.K. Maurya)
SA


C O 20/12/23


20.12.23
S D M
Chunar

गवाह:-उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

क्र0सं0	नाम	हस्ताक्षर
1.	Chandra Prakash Singh	} इसमें उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्का किया गया। नोटिस-वस्था। 
2.	Umesh Chandro Tripathi	
3.		

20/12/23

S.A.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक-06.09.2023 द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच00420/सी-2/वायु-506/23 दिनांक-06.09.2023 द्वारा प्रश्नगत उद्योग मेसर्स मारुति नन्दन स्टोन क्रशर, ग्राम-रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी000977/ओ0ए0 संख्या-388/2023 दिनांक-14.12.2023 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-20/12/23 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड कर उद्योग बन्द किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।


20/12/23
(K.K. Maurya)
S.A.


CO (OP.)
20.12.23


20.12.23
SDM.CC'

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

क्र0सं0	नाम	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		

इकाई स्थल पर कोई उपस्थित नहीं मिला
SDM चुनार की उपस्थित से इकाई को सीज्ड
किया गया। नोटिस-वस्था


20/12/23
S.A.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक-30.11.2023 द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच03477/सी-2/वायु-525/बन्दी आदेश/23 दिनांक-30.11.2023 द्वारा प्रश्नगत उद्योग मेसर्स के0के0के0 कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी000977/ओ0ए0 संख्या-388/2023 दिनांक-14.12.2023 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-20/12/23 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड कर उद्योग बन्द किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

[Signature]
20/12/23
(K.K. Maurya)
S.A.

[Signature]
CO (OP)
20.12.23

[Signature]
20.12.23
SDM.CO

गवाह:- उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

क्र0सं0	नाम	हस्ताक्षर
1.		
2.		
3.		

इकाई स्थल पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं मिला
तथा SDM चुनार की उपस्थित में इकाई सीज्ड किया
गया। (नोटिस-चस्पा)

[Signature]
20/12/23
S.A.

148

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक-30.11.2023 द्वारा जारी बन्दी आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा गठित समिति की आख्या।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.05.2023 के अनुपालन में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच०३४७६/सी-२/वायु-५०३/बन्दी आदेश/२३ दिनांक-30.11.2023 द्वारा प्रश्नगत उद्योग मेसर्स शिवशक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्वनाम-मे० जय माँ दुर्गा मिक्चर प्लाण्ट), ग्राम-रामपुर, ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किया गया है। उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-जी०००९७७/ओ०ए० संख्या-388/2023 दिनांक-14.12.2023 द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-20¹²/₂₃ को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग की मशीनरी (प्राइमरी 'जॉ' क्रशर) को सील/सीज्ड कर उद्योग बन्द किया गया। सील की सुपुर्दगी सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सौंपी जाती है।

ml
20/12/23
(K.K. Maurya)
S.A.

ml
COLOP
20.12.23

h
20.12.23
S D M
chunar

गवाह:-उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का नाम व हस्ताक्षर:-

क्र०सं०	नाम	हस्ताक्षर
1.	लान्ट डि-मोन्टल एर ड्य किय गया है ७८९९२५१८५७	लान्ट डि-मोन्टल 20/12/2023
2.		
3.		

निरीक्षण के दौरान लान्ट प्रणाली से डि-मोन्टल पाया गया।

ml
20/12/23
S.A.

Photographs regarding complying status in order to closure orders issued against questioned all 04 stone crushers by UPPCB.





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.: 1046/6 /सी-2/वायु-504/क्षतिपूर्ति/23

Dated: 22/12/23

सेवा में,
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

विषय: मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मों दुर्गा मिक्चर प्लाण्ट), ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 03746/सी-2/वायु-504/ई0सी0/23 दिनांक 07.12.2023 द्वारा मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मों दुर्गा मिक्चर प्लाण्ट), ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध रुपये 8,43,750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जो उद्योग को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित हैं (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से इकाई को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में एक सप्ताह में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 160/2022 ओम पाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू-राजस्व की भाँति वसूली के सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अंश निम्नवत् है :-

.....6. In the present case we consider it appropriate to seek response from the State of Uttar Pradesh as to why amount of environmental compensation imposed remains unrealized for very long periods even after receipt of the reference from the UPPCB for realization of the same and as to why the amount for remediation of environmental damage caused by the violators be not incurred by the State of Uttar Pradesh immediately on receipt of such references for remediation of the damage caused to the environment before the same results in irreversible damage to the ecology and bio-diversity. **The amount so spent by the Uttar Pradesh may be recovered from the violators as arrears of land revenue in accordance with law.....**

अतः आपसे अनुरोध है कि मैसर्स शिव शक्ति इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम-मैसर्स जय मों दुर्गा मिक्चर प्लाण्ट), ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 8,43,750/- की भू-राजस्व की भाँति वसूली कराने तथा उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड - UBIN 0570150 में जमा करवाकर बोर्ड को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

A

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर नगर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.: 4046/19 सी-2/वायु-524/शहीदशर्म/23 Dated: 22/12/23

सेवा में,
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

विषय: मैसर्स एफ़ो इन्फ़ाटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 03745/सी-2/वायु-524/ई0सी0/23 दिनांक 07.12.2023 द्वारा मैसर्स एफ़ो इन्फ़ाटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध रुपये 8,43,750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जो उद्योग को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित हैं (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से इकाई को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में एक सप्ताह में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 160/2022 ओम पाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ़ यू0पी0 व अन्य में उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू-राजस्व की भाँति वसूली के सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अंश निम्नवत् है :-

.....6. In the present case we consider it appropriate to seek response from the State of Uttar Pradesh as to why amount of environmental compensation imposed remains unrealized for very long periods even after receipt of the reference from the UPPCB for realization of the same and as to why the amount for remediation of environmental damage caused by the violators be not incurred by the State of Uttar Pradesh immediately on receipt of such references for remediation of the damage caused to the environment before the same results in irreversible damage to the ecology and bio-diversity. **The amount so spent by the Uttar Pradesh may be recovered from the violators as arrears of land revenue in accordance with law.....**

अतः आपसे अनुरोध है कि मैसर्स एफ़ो इन्फ़ाटेक प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 8,43,750/- की भू-राजस्व की भाँति वसूली कराने तथा उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड - UBIN 0570150 में जमा करवाकर बोर्ड को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर नगर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.:

4046/2 / सी-2/वायु-506/क्षतिपूर्ति/23

Dated:

22/12/23

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

विषय: मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन कशर, ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 03748/सी-2/वायु-506/ई0सी0/23 दिनांक 07.12.2023 द्वारा मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन कशर, ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध रुपये 39,37,500/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जो उद्योग को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित हैं (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से इकाई को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में एक सप्ताह में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 160/2022 ओम पाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू-राजस्व की भाँति वसूली के सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अंश निम्नवत् है :-

.....6. In the present case we consider it appropriate to seek response from the State of Uttar Pradesh as to why amount of environmental compensation imposed remains unrealized for very long periods even after receipt of the reference from the UPPCB for realization of the same and as to why the amount for remediation of environmental damage caused by the violators be not incurred by the State of Uttar Pradesh immediately on receipt of such references for remediation of the damage caused to the environment before the same results in irreversible damage to the ecology and bio-diversity. **The amount so spent by the Uttar Pradesh may be recovered from the violators as arrears of land revenue in accordance with law.....**

अतः आपसे अनुरोध है कि मैसर्स मारुति नन्दन स्टोन कशर, ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 39,37,500/- की भू-राजस्व की भाँति वसूली कराने तथा उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड - UBIN 0570150 में जमा करवाकर बोर्ड को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर नगर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No.: 1046/7/सी-2/वायु-525/क्षतिपूर्ति/23

Dated: 22.12.23

सेवा में,
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

विषय: मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम-रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 03747/सी-2/वायु-525/ई०सी०/23 दिनांक 07.12.2023 द्वारा मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध रुपये 8,43,750/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जो उद्योग को सम्बोधित एवं आपको भी पृष्ठांकित हैं (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से इकाई को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को राज्य बोर्ड के निर्धारित खाते में एक सप्ताह में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु संदर्भित इकाई द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि राज्य बोर्ड के खाते में जमा नहीं की गयी है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 160/2022 ओम पाल व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू-राजस्व की भाँति वसूली के सम्बन्ध में दिनांक 17.10.2023 को पारित आदेश के अंश निम्नवत् है :-

.....6. In the present case we consider it appropriate to seek response from the State of Uttar Pradesh as to why amount of environmental compensation imposed remains unrealized for very long periods even after receipt of the reference from the UPPCB for realization of the same and as to why the amount for remediation of environmental damage caused by the violators be not incurred by the State of Uttar Pradesh immediately on receipt of such references for remediation of the damage caused to the environment before the same results in irreversible damage to the ecology and bio-diversity. **The amount so spent by the Uttar Pradesh may be recovered from the violators as arrears of land revenue in accordance with law.....**

अतः आपसे अनुरोध है कि मैसर्स के०के०के० कन्स्ट्रक्शन, ग्राम रामपुर ढबही, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 8,43,750/- की भू-राजस्व की भाँति वसूली कराने तथा उक्त धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड - UBIN 0570150 में जमा करवाकर बोर्ड को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर नगर से समन्वय स्थापित कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करायें।

सदस्य सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

पत्रांक— G0001 /O.A. No. 388/2023

दिनांक— 01-01-2024

आदेश

उपजिलाधिकारी,
चुनार, मीरजापुर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या—388/2023 हेमलता देवी एवं अन्य बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य के प्रकरण में आच्छादित प्रश्नगत 04 स्टोन क्रशर उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की भू-राजस्व की भाँति वसूली हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अपने पत्र दिनांक—22.12.2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया है। संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न है एवं संक्षेप में विवरण निम्नवत् है:—

Sl. No.	Stone Crusher Unit	Amount of Environmental Compensation Imposed	Status of Recovery
1.	M/s. APCO Infratech Private Limited, Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirzapur	Rs.8,48,750.00 (Rupees Eight Lakhs Forty Eight Thousand Seven hundred Fifty only)	Requesting letter issued by UPPCB vide ref. No. HO4619/C-2/Air-524/Compensation/23 dated 22.12.2023.
2.	Shiv Shakti Enterprises (formally known as M/s. Jai MaaDurga Mixture Plant), Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirzapur	Rs.8,48,750.00 (Rupees Eight Lakhs Forty Eight Thousand Seven hundred Fifty only)	Requesting letter issued by UPPCB vide ref. No. HO4616/C-2/Air-504/Compensation/23 dated 22.12.2023.
3.	M/s. K.K.K. Construction, Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirzapur	Rs.8,48,750.00 (Rupees Eight Lakhs Forty Eight Thousand Seven hundred Fifty only)	Requesting letter issued by UPPCB vide ref. No. HO4617/C-2/Air-525/Compensation/23 dated 22.12.2023.
4.	M/s. MarutiNandan Stone Crusher, Village Rampur Dhabahi, Paragna-Bhagwat, Tehsil-Chunar, District Mirzapur	Rs.39,37,500.00 (Rupees Thirty Nine Lakhs Thirty Seven Thousand Five hundred only)	Requesting letter issued by UPPCB vide ref. No. HO4618/C-2/Air-506/Compensation/23 dated 22.12.2023.

उपरोक्त प्रकरण में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्रों दिनांक—22.12.2023 के माध्यम से किये गये अनुरोध के क्रम में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त वर्णित प्रश्नगत 04 स्टोन क्रशर उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की भू-राजस्व की भाँति वसूली हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तददिनांक:—

प्रतिलिपि:— सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

tc